

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट  
 आदिवासी/आदिवासी/2017/2300 रीवा (म0प्र0)



- 1- रामशिरोमणि तनय स्व0 श्री लक्ष्मेश्वर राम ब्रा0
- 2- दयाशंकर तनय श्री रामसिरोमणि ब्रा0
- 3- प्रभाशंकर तनय श्री रामसिरोमणि ब्रा0
- 4- गोपाल शंकर तनय श्री सुरेश प्रसाद ब्रा0
- 5- मोहन शंकर पिता श्री सुरेश प्रसाद ब्रा0

सभी निवासीगण ग्राम सतपुरा उर्फ पड़िवार, तहसील त्योंथर, जिला  
 रीवा (म0प्र0) —पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

- 1- प्रेमनारायण पिता स्व0 सत्यनारायण ब्रा0
- 2- शिवशंकर पिता तुलाराम ब्रा0
- 3- हरिहर कृपाल पिता पिता स्व0 श्री रामकृपाल ब्रा0
- 4- शंकर कृपाल पिता स्व0 श्री रामकृपाल ब्रा0
- 5- राजाराम पिता स्व0 श्री रामकृपाल ब्रा0

सभी निवासी ग्राम सतपुरा उर्फ पणिवार, तहसील त्योंथर जिला रीवा  
 (म0प्र0) —गैरपुनरीक्षणकर्तागण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0

मान्यवर,

विवादित प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

उक्त विवादित आराजी मौजा देउपा पटवारी हल्का चंदई, तहसील त्योंथर अन्तर्गत स्थित है, इन आराजियातों के मूल पुरुष छोटकू राम ब्रा0 थे, जिनकी दो सन्ताने एक का नाम देवतादीन ब्रा0 जो ब्रड़े लड़के थे, दूसरा लक्ष्मेश्वर प्रसाद ब्रा0 अभिलिखित राजस्व अभिलेख दर्ज थे, जिनका आपस में दोनो भाइयों के बीच बंटवारा वर्ष 1943 में हुआ था, तब से लेकर

म

रामशिरोमणि

Handwritten signature and initials.

आवेदन ग्राहकी कोर्ट  
 देती भाटके गौतम एड  
 दास यथा 20-7-17

कोर्ट

मण्डल म० प्र० ग्वालियर  
 (सर्किट कोर्ट) रीवा



म० प्र० संहिता 1959 ई०  
 श्रीमान् तहसीलदार तहसील त्योंथर जिला  
 ग्वालियर आदिवासी/आदिवासी/2017/2300  
 15/5/17 28/6/17 03 AGA/15-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2300

जिला-रीवा

रामसिरोमणि ब्रा0/प्रेमनारायण वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 गौतम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त चाकघाट, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 103/अ6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	

